2013/00013

<u>न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :- प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 12/2013 (बांसवाड़ा डिक्री)</u>

1. मकन पिता मोगजी, जाति भील (मृतक) विधिक वारिसान अपीलान्ट संख्या 2 व 3 कमशः रामजी व सुभाष पूर्व से रेकार्ड पर मौजूद हैं
2. रामजी पिता मकन, जाति भील, निवासी तलवाड़ा, मजरा कोठारा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. सुभाष पिता मकन, जाति भील, निवासी तलवाड़ा, मजरा कोठारा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

सुन्दर पिता गला, जाति भील, निवासी तलवाड़ा, मजरा कोठारा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (मृतक) के बजाय :-

1. भुवेश पिता सुन्दर, जाति भील, निवासी तलवाड़ा, मजरा कोठारा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. प्रकाश पिता सुन्दर, जाति भील, निवासी तलवाड़ा, मजरा कोठारा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. राजेश पिता सुन्दर, जाति भील, निवासी तलवाड़ा, मजरा कोठारा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. सारा पिता सुन्दर, जाति भील, निवासी तलवाड़ा, मजरा कोठारा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 31.05.2013 प्र.सं. 105/2006

---/---

<u>उपस्थित(वक्त बहस)</u> 1- श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्टगण
2- श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रे.सं. 1/1 से 1/4

---::---

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 20-02-2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर ... ग्राम तलवाड़ा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:10 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

आराजी नंबर 5108/2069 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसका वादी एक मात्र खातेदार कृषक होकर मालिक अधिपति है। उक्त आराजी का मूल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा था, जिसमें से 6 बिस्वा भूमि वादी ने आबादी में दर्ज करा ली है तथा शेष 2 बीघा 4 बिस्वा पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी वादी के कब्जे काश्त में जबरन प्रवेश करते हैं तथा शान्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 4 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 31–05–2013 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19–07–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से अभिभाषक श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियात के कमानुसार निर्णय पारित नहीं किया है। वादी ने अपने वाद में मूल सर्वे नंबर 1508/2069 रकबा 2 बीघा 10 भूमि बाबत् कृषि भूमि व आबादी रूपान्तरित दोनों भूमियों बाबत् वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें 6 बिस्वा भूमि आबादी में रूपान्तरित होना बताते हुए शेष 2 बीघा 4 बिस्वा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा चाही है, लेकिन वादी ने इस प्रकार का कोई तरमीमशुदा नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजी नंबर 5108/2069 का मूल नंबर 2069 होकर उसके 10 बिस्वा पर कब्जा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का है, जिसे रेस्पोन्डेन्ट/वादी स्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में बेदखल करना चाहता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायाल ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:10 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए हमारा वाद स्वीकार किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 अनुसार वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 विवादित 1508/2069 रकबा 2 बीघा 10 का रेकार्डेड खातेदार दर्ज है। प्रतिवादी/अपीलान्टगण ने अपनी विशेष आपत्ति के कलम संख्या (इ) में विवादित आराजी का मूल नंबर 2069 बताते हुए उसके 10 बिस्वा भूमि पर अपना कब्जा होने का कथन किया है, जिससे स्पष्ट है कि वे वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2013 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:10 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

मकन (मृतक) के बजाय रामजी भील, निवासी तलवाडा, मजरा कोठारा, तह. व जिला बांसवाड़ा व अन्य — बनाम — सुन्दर मृतक के बजाय भुवेश पिता स्व.सुन्दर, निवारसी तलवाडा, मजरा कोठारा, तह0 बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....12/2013.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....बांसवाड़ा ..... मुकाम.....मुवर्खे.....31.....माह.....05.....2013

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....20....माह.....02.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी.....श्री मुकेश द्विवेदी....मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री जयेन्द्र पुरोहित .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2013 यथावत रखी जाती है।.

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....20.....माह.....02.....2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:10 IST
Reason: SelfAttested